

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.  
मुकदमा संख्या :- 460/2024 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट  
जगदीश पुत्र श्री सुखराम जाति सांसी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला  
हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. डालूराम मेघवाल पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 08 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, राज0।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील-वादी  
श्री सुभाष बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 26/9/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी जगदीश को चक नम्बर 20 एन.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 52/45 के पत्थर नम्बर 114/49(13) किला नम्बर 5 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.2360 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/2 की 0.2110 हैक्टेयर कुल 1.2060 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का,
2. प्रतिवादी डालूराम मेघवाल को चक नम्बर 20 एन.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 52/45 के पत्थर नम्बर 114/49(13) किला नम्बर 4 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.0170 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में व किला नम्बर 25/2 की 0.0170 हैक्टेयर पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में कुल 1.5520 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/9/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

